संख्या 68/2017/XXVII(9)/मनो0कर–02/2017

प्रेषक,

हीरा सिंह बसेड़ा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9

देहरादून: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:– फिल्म "बद्री द क्लाउड" को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम–1979 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा–11(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय फिल्म "बद्री द क्लाउड" को प्रथम प्रदर्शन की तिथि से दो माह तक शत–प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृति उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 (यथावत् उत्तराखण्ड में लागू) तथा आमोद एवं पणकर नियमावली 1981 के नियम/प्राविधानों के अधीन होगी तथा उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

3– निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

4– प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

संख्या (1)/2017/XXVII(9)/मनो0कर–02/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर निदेशक/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 21 मार्च, 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।